



कार्यालय आदेश

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त राजकीय महाविद्यालय तथा निजी संस्थान, जिनमें बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है, को इस आदेश के माध्यम से सूचित किया जाता है कि बी0एड0 सत्र 2020-22 में अर्ह चयनित छात्र/छात्राओं की सूची का नियमानुसार अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के माध्यम से करवाकर विश्वविद्यालय में प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 20.03.2021 तक निर्धारित की गयी थी। सम्बन्धित अनुमोदित सूची विशेष पत्रवाहक अथवा ई-मेल के माध्यम से विश्वविद्यालय को हर दशा में आज दिनांक 20.03.2021 तक उपलब्ध करायी जानी आवश्यक है। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाली सूची किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अर्ह चयनित प्रति छात्र/छात्रा 150.00 रू0 की दर से पूर्ण में निर्धारित पंजीकरण शुल्क भी विश्वविद्यालय के राजकोष में आज ही जमा करवाना सुनिश्चित किया जाय।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

डॉ0(एम0एस0रावत),
प्रभारी कुलसचिव।

1. प्रतिलिपि निजी सचिव, मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि सहायक परीक्षा नियन्त्रक/सहायक कुलसचिव।
3. प्रतिलिपि वरिष्ठ वित्त अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डॉ0(एम0एस0रावत),
प्रभारी कुलसचिव।